केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

के वि वि आयोग CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं. 3/टीएल/2024 दिनांक: 01.04.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीजीसीपीटीएल), प्लॉट नं. 2, सेक्टर 29, गुरुग्राम–122001, हरियाणा द्वारा "न्यू बुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट क्रॉस–बॉर्डर अंतरसंयोजन पारेषण लाइन और संबद्ध बे विस्तार कार्य के भारतीय हिस्से का कार्यान्वयन" (संक्षेप में "पारेषण परियोजना")के लिए बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीजीसीपीटीएल) को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14के अधीन आवेदन किया गया है:

पारेषण परियोजना का कार्यक्षेत्र	कार्यान्वयन समयसीमा	कुल अनुमानित लागत:
• न्यू बुटवल–गोरखपुर 400केवी डी/सी (क्वाड मूज़) पारेषण लाइन का भारतीय हिस्सा • 2नंबर 400केवी जीआईएस बे के साथ गोरखपुर पर पावरग्रिड के विद्यमान 400केवी सबस्टेशन का विस्तार	30-5-2026	रु.461.96 करोड़

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 20.12.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 3/टीएल/2024 में दिनांक 30.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/jv** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में, किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड(क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **17.4.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **19.4.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव